भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2795
दिनांक 12 अगस्त, 2026 / 21 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

जैविक जैवसुरक्षा संबंधी खतरों के लिए एनडीएमए की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन से संबंधित तत्परता ढांचा

2795 डा. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने देश में जैविक हमलों और व्यापक स्तर की जैविक आपात स्थितियों से उत्पन्न उभरते खतरों का आकलन किया है;

(ख) क्या ऐसे खतरों की रोकथाम, शीघ्र पहचान, नियंत्रण तथा समन्वित प्रतिक्रिया के लिए राज्य सरकारों एवं संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से एक समग्र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संबंधी तत्परता एवं प्रतिक्रिया ढांचा विकसित किया गया है;

(ग) उक्त कार्यनीति का, विशेषकर अस्पतालों में मरीजों की संख्या में उछाल के प्रबंधन की क्षमता, बड़े पैमाने पर चिकित्सा उपचार संबंधी प्रतिरोधात्मक उपायों, आपातकालीन टीका/ औषधि भंडार तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की विशेषीकृत इकाइयों के परिनियोजन से संबंधित विशिष्ट ब्यौरा क्या है; और

(घ) सामुदायिक जागरूकता सुनिश्चित करने तथा त्वरित नागरिक सुरक्षा प्रतिक्रिया के लिए नियमित रूप से आयोजित मॉक ड्रिलों तथा निर्धारित नयाचार का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): सरकार देश में किसी भी जैविक हमले का जवाब देने के लिए तैयार है।

जैविक आपदाओं के प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश, 2008 में एक खतरा-अनुमान और जोखिम-प्रबंधन ढांचा शामिल है, जो जैविक सुरक्षा, जैव-सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी तैयारियों को कवर करता है। जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, 2019 में भी शामिल किया गया है।

संबंधित वैज्ञानिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा एजेंसियों—जिनमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) और अन्य नामित एजेंसियां शामिल हैं—के द्वारा निरंतर तकनीकी आकलन, रोग निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी का कार्य किया जाता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशानिर्देश और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जैविक आपात स्थितियों की रोकथाम, तैयारी, प्रारंभिक पहचान, रोकथाम (कंटेनमेंट) और समन्वित प्रतिक्रिया के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करते हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) जिसे जैविक आपदा के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है, ने अवगत कराया है कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है तथा मंत्रालय महामारी-प्रवण संक्रामक रोगों के प्रकोप के विरुद्ध राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की जनस्वास्थ्य तैयारी एवं प्रतिक्रिया क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। रोग निगरानी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पूरे देश में एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (Integrated Disease Surveillance Programme – IDSP) को सुदृढ़ किया है, जिसके माध्यम से प्रशिक्षित बहु-विषयक त्वरित प्रतिक्रिया दल (Rapid Response Teams – RRTs) द्वारा विकेंद्रीकृत प्रतिक्रिया प्रणाली संचालित की जाती है, ताकि आवश्यक जनस्वास्थ्य नियंत्रण एवं रोकथाम उपाय लागू किए जा सकें।
प्रयोगशाला सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत, IDSP के माध्यम से राज्यों ने जिला एवं राज्य स्तर की प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने रोगजनकों के समयबद्ध प्रयोगशाला-आधारित निदान हेतु देशभर में 150 से अधिक वायरल रिसर्च एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं (Viral Research and Diagnostic Laboratories – VRDLs) का नेटवर्क स्थापित किया है। आईसीएमआर ने प्रकोप की स्थिति में, विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में, स्थल पर आवश्यक जांच सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए दो मोबाइल जैव-सुरक्षा स्तर-3 (Biosafety Level-3 – BSL-3) प्रयोगशालाएँ भी विकसित की हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों जैसे महामारियों के कारण होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने हेतु राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिसमें बिस्तर क्षमता (आईसीयू बेड सहित) में वृद्धि के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, प्रयोगशाला नेटवर्क का विस्तार, निगरानी, चिकित्सा रसद की खरीद आदि शामिल हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के विषय में हमारे देश को बेहतर ढंग से तैयार करने के दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ, किसी भी नई और उभरती हुई बीमारियों की पहचान करने और उनका प्रबंधन करने के लिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं/प्रणालियों तथा संस्थानों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री - आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन' (PM-ABHIM) शुरू किया गया है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की बटालियनें भी बेसिक केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर (CBRN) कोर्स में प्रशिक्षित हैं और चिन्हित टीमें आवश्यक बचाव, पहचान, निगरानी और परिशोधन उपकरणों से लैस हैं।

एनडीआरएफ की टीमों को पूरे भारत में संबंधित राज्य/जिला अधिकारियों की मांग (अनुरोध) पर तैनात किया जाता है।

(घ): राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संवेदनशीलता प्रोफाइल के आधार पर एनडीआरएफ (NDRF) जैविक और जैव-सुरक्षा आपात स्थितियों पर नियमित बहु-एजेंसी मॉक ड्रिल आयोजित करता है। इन अभ्यासों में नागरिक सुरक्षा, एसडीआरएफ (SDRF), स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवा, पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs), जिला प्रशासन और अस्पतालों सहित सभी प्रमुख आपदा प्रबंधन हितधारक शामिल होते हैं। ये अभ्यास आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं का परीक्षण करने, एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार करने, समुदाय की जागरूकता बढ़ाने और समग्र तैयारियों को मजबूत करने में मदद करते हैं। प्रतिक्रिया मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs), घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (IRS) और स्थापित अंतर-एजेंसी समन्वय तंत्र के अनुसार की जाती है।

इसके अलावा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) पूरे भारत में क्रॉस-सेक्टर प्रतिक्रिया का परीक्षण और उसे मजबूत करने के लिए मॉक ड्रिल की एक श्रृंखला भी आयोजित करता है।

*****